

मध्यप्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

दूरभाष क्र. 2527114, ई-मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1867
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/04/2017

1. अधिष्ठाता,
मेडिकल कॉलेज-भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा (म.प्र.)
2. संचालक,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स), साकेत नगर, जिला भोपाल/
भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी), जिला भोपाल (म.प्र.)
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।
5. अधीक्षक,
इन्दिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय भोपाल/सिविल हॉस्पिटल, इटारसी (होशंगाबाद)/
रानी दुर्गावती, सिविल हॉस्पिटल, जबलपुर/सिविल हॉस्पिटल, भानपुरा (मंदसौर) (म.प्र.)
6. समस्त सी.एम.ओ.
कस्तूरबा हॉस्पिटल बी.एच.ई.एल., भोपाल/ डब्ल्यू.सी.एल बड़कुई छिन्दवाडा/
डब्ल्यू.सी.एल पाथाखेड़ा बैतूल/बुढार सेन्ट्रल हॉस्पिटल एस.ई.सी.एल. धनपुरी शहडोल/
प्रमारी नेहरु शताब्दी चिकित्सालय, सिंगरौली।

विषय:- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के डिटरमिनेन्ट्स ऑफ कॉस्ट के संबंध में।

संदर्भ:- 1. क्रमांक/1274/SBTC/2015 दिनांक 09/11/2015

2. संचालनालय का पत्र क्रमांक अ.प्रशा./2016/125 दिनांक 25/01/2016

3. क्रमांक/एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1999 दिनांक 25/02/2017

-----00-----

उपरोक्त संदर्भित पत्रों से होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद (NBTC) द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दी गई मार्गदर्शिका पर आधारित राज्य रक्ताधान परिषद द्वारा सभी शासकीय एवं अशासकीय ब्लड बैंक्स हेतु होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस निम्नानुसार, निर्धारित कर 1/01/2016 से लागू किये गये हैं :-

f) Whole Blood	-	Rs. 1050/- per unit
g) Packed Red Cells	-	Rs. 1050/- per unit
h) Fresh Frozen Plasma	-	Rs. 300/- per unit
i) Platelet Concentrate	-	Rs. 300/- per unit
j) Cryoprecipitate	-	Rs. 200/- per unit

कुछ ब्लड बैंक्स द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस उपरोक्त निर्धारित चार्जस से अधिक लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुनः स्पष्ट किया जाता है-

- सभी शासकीय एवं अशासकीय ब्लड बैंक द्वारा ऐसे निम्नलिखित रोगी जिन्हें बार-बार व


निरंतर रक्ताधान की आवश्यकता पड़ती है उन्हें निःशुल्क ब्लड/ब्लड कम्पोनेन्ट दिया जाना अनिवार्य है :-

- a. **Thalassemia patients**
- b. **Heamophila patients**
- c. **Sickle Cell anemia patients**
- d. **Any other blood dyscrasia requiring repeated blood transfusions.**

- उपरोक्त पैरा 1 में होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग हेतु निर्धारित चार्जस के डिटरमिनेन्ट्स व उनके शुल्क अनुसूची 1 में सलंगन है।
- ब्लड बैंक द्वारा किसी भी स्पेशलाइज्ड रिविरेमेंट/टेस्ट/प्रोसीजर्स के शुल्क की जानकारी ब्लड प्राप्तकर्ता को दी जाना चाहिए।
- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस ब्लड बैंक परिसर में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किये जाये ताकि हितग्राहियों को उचित लाभ प्राप्त है।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।

आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र. द्वारा अनुमोदित



(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

भोपाल, दिनांक / /2017

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110 002
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, पश्चिम खण्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा तल झोनल एफ.डी.ए. भवन, जी. एम.एस.डी. कम्पाउंड, विलासी रोड, मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई-400 008
5. संचालक, राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद् (NBTC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
6. आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
10. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल।

||

संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

**Details of Recovery of Processing Charges for
Blood & Blood Component**

Costing for Whole Blood & Blood Components			
S.No	Determinants of Cost	Whole Blood	Blood Components
1	Consumables/material (including stationery & IEC)		
	Blood Bags	50	200
	Kits for Transfusion Transmitted infection testing	200	200
	Donor Haemoglobin	30	30
	Blood Grouping	70	70
	Cross matching	70	70
	Chemicals	10	10
	Stationery	20	35
	Glassware and plastic ware	70	100
2	Salary (human resource)	300	400
3	Equipments Maintenance and depreciation	50	140
4	Power (electrical supply including generator backup)	70	140
5	Biomedical waste management	10	20
6	Donor Refreshment	25	25
7	Quality Assurance	25	100
8	Wastage (@approximately 5% for Whole Blood, 7% for components)	50	110
	Total Effective Cost	1050	1650

Q 2

मध्यप्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

दूरभाष क्र. 2527114, ई-मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1869
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/04/2017

1. निदेशक/उत्तराधिकारी/संचालक
समस्त प्रायवेट ब्लड बैंक
मध्यप्रदेश।
2. समस्त सचिव/निदेशक/संचालक
स्वैच्छिक ब्लड बैंक,
(लायन्स /रोटरी /इंडियन रेडक्रास सोसायटी) मध्यप्रदेश।

विषय:- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के डिटरमिनेन्ट्स ऑफ कॉस्ट के संबंध में।

संदर्भ:- 1. क्रमांक/1274/SBTC/2015 दिनांक 09/11/2015

2. क्रमांक/एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1997 दिनांक 25/02/2017

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्रों से होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद (NBTC) द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दी गई मार्गदर्शिका पर आधारित राज्य रक्ताधान परिषद द्वारा सभी शासकीय एवं अशासकीय ब्लड बैंक्स हेतु होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस निम्नानुसार, निर्धारित कर 1/01/2016 से लागू किये गये हैं :-

a) Whole Blood	-	Rs. 1050/- per unit
b) Packed Red Cells	-	Rs. 1050/- per unit
c) Fresh Frozen Plasma	-	Rs. 300/- per unit
d) Platelet Concentrate	-	Rs. 300/- per unit
e) Cryoprecipitate	-	Rs. 200/- per unit

कुछ ब्लड बैंक्स द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस उपरोक्त निर्धारित चार्जस से अधिक लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुनः स्पष्ट किया जाता है-

- सभी शासकीय एवं अशासकीय ब्लड बैंक द्वारा ऐसे निम्नलिखित रोगी जिन्हें बार-बार व निरंतर रक्ताधान की आवश्यकता पड़ती है उन्हें निःशुल्क ब्लड/ब्लड कम्पोनेन्ट दिया जाना अनिवार्य है :-


- a. Thalassemia patients
- b. Hemophilia patients
- c. Sickle Cell anemia patients
- d. Any other blood dyscrasia requiring repeated blood transfusions.

- उपरोक्त पैरा 1 में होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग हेतु निर्धारित चार्जस के डिटरमिनेन्ट्स व उनके शुल्क अनुसूची 1 में सलंगन है।
- ब्लड बैंक द्वारा किसी भी स्पेशलाईज्ड रिक्विरेमेंट/टेस्ट/प्रोसीजर्स के शुल्क की जानकारी ब्लड प्राप्तकर्ता को दी जाना चाहिए।

- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस ब्लड बैंक परिसर में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किये जाये ताकि हितग्राहियों को उचित लाभ प्राप्त है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र. द्वारा अनुमोदित



(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

भोपाल, दिनांक / /2017

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110 002
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
4. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, पश्चिम खण्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा तल झोनल एफ.डी.ए. भवन, जी.एम.एस.डी. कम्पाउंड, विलासी रोड, मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई-400 008
5. संचालक, राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद् (NBTC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
11. अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल।

||
संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

**Details of Recovery of Processing Charges for
Blood & Blood Component**

Costing for Whole Blood & Blood Components			
S.No	Determinants of Cost	Whole Blood	Blood Components
1	Consumables/material (including stationery & IEC)		
	Blood Bags	50	200
	Kits for Transfusion Transmitted infection testing	200	200
	Donor Haemoglobin	30	30
	Blood Grouping	70	70
	Cross matching	70	70
	Chemicals	10	10
	Stationery	20	35
	Glassware and plastic ware	70	100
2	Salary (human resource)	300	400
3	Equipments Maintenance and depreciation	50	140
4	Power (electrical supply including generator backup)	70	140
5	Biomedical waste management	10	20
6	Donor Refreshment	25	25
7	Quality Assurance	25	100
8	Wastage (@approximately 5% for Whole Blood, 7% for components)	50	110
	Total Effective Cost	1050	1650

Q 2

मध्यप्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

दूरभाष क्र. 2527114, ई-मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1999
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/02/2017

1. समस्त अधिष्ठाता,
शासकीय मेडिकल कॉलेज, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संचालक,
शासकीय ब्लड बैंक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षक,
सिविल हॉस्पिटल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सी.एम.ओ.
कस्तूरबा हॉस्पिटल बी.एच.ई.एल., भोपाल/ डब्ल्यू.सी.एल बड़कुई छिन्दवाडा/
डब्ल्यू.सी.एल पाथाखेड़ा बैतूल/बुढार सेन्ट्रल हॉस्पिटल एस.ई.सी.एल. धनपुरी शहडोल/
प्रभारी नेहरु शताब्दी चिकित्सालय, सिंगरौली।

विषय:-होल ब्लड एण्ड ब्लड कम्पोनेंट प्रोसेसिंग चार्जेस के संबंध में ।

संदर्भ:- 1. क्रमांक/1274/एस.बी.टी.सी./2015 दिनांक 09.11.2015


2. क्रमांक अ.प्रशा/2016/125 दिनांक 25.01.2016

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 1 (प्रति संलग्न) से निर्धारित होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट के प्रोसेसिंग चार्जेस पुनरिक्षित कर दिनांक 1/01/2016 से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 2 से प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में आ रहे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रोगियों को प्रोसेसिंग चार्जेस से छूट के संबंध में निर्देश दिये गये थे। ब्लड प्रोसेसिंग चार्जेस के संबंध में विधान सभा प्रश्न भी किये जा रहे हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है, कि कृपया अपने अधीनस्थ ब्लड बैंक्स में उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

भोपाल, दिनांक 25/02/2017

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/2000

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।



संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

मध्यप्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

दूरभाष क्र. 2527114, ई-मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी./2017/1997

भोपाल, दिनांक 25/02/2017

प्रति,

1. निदेशक/उत्तराधिकारी/संचालक
समस्त प्रायवेट ब्लड बैंक
मध्यप्रदेश।
2. समस्त सचिव/निदेशक/संचालक
स्वैच्छिक ब्लड बैंक,
(लायन्स /रोटरी /इंडियन रेडक्रास सोसायटी)
मध्यप्रदेश।

विषय:-होल ब्लड एण्ड ब्लड कम्पोनेंट प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में ।


संदर्भ:- क्रमांक/1274/एस.बी.टी.सी./2015 दिनांक 09/11/2015

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से निर्धारित ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट के प्रोसेसिंग चार्जस पुनरिक्षित कर दिनांक 1/01/2016 से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये थे। कुछ ब्लड बैंक्स द्वारा अधिक प्रोसेसिंग चार्जस लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। किसी भी ब्लड बैंक द्वारा निर्धारित से अधिक प्रोसेसिंग चार्जस लेने की पुष्टि होती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि कृपया अपने अधीनस्थ ब्लड बैंक्स में संदर्भित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(डॉ. के.के. ठसू)

संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

भोपाल, दिनांक 25/02/2017

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1998

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।



संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक अस्प.प्रशा./2016/125
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/01/2016

1. समस्त अधिष्ठाता,
शासकीय मेडिकल कॉलेज, मध्यप्रदेश
2. समस्त संचालक,
शासकीय ब्लड बैंक, मध्यप्रदेश
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश
4. समस्त अधीक्षक,
सिविल हॉस्पिटल, मध्यप्रदेश
5. समस्त सी.एम.ओ.,
डब्ल्यू.सी.एल. बड़कुई छिन्दवाड़ा/डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा बैतूल/
कस्तूरबा हॉस्पिटल, बी.एच.ई.एल., भोपाल/बुढार सेन्ट्रल हॉस्पिटल एस.ई.सी.एल. धनपुरी शहडोल/
प्रभारी नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, सिंगरौली

विषय:—होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेंट प्रोसेसिंग चार्ज के सम्बंध में।

संदर्भ:—राज्य रक्ताधान परिषद के पत्र क्रमांक 1274/एसबीटीसी/2015 दिनांक 09.11.2015

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में होल ब्लड एवं कम्पोनेंट के प्रोसेसिंग चार्ज का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किया गया है।

विभाग की यह नीति रही है कि प्रदेश के समस्त शासकीय संस्थाओं में आ रहे सभी रोगियों को निःशुल्क जांच व उपचार उपलब्ध कराया जाए। इस तारतम्य में राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), म.प्र., भोपाल के कार्यालय पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एम.एच./2016/3 दिनांक 02.01.2016 के अनुसार गर्भवती महिलाओं से गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, प्रसव उपरान्त तथा बीमार शिशुओं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने पर कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज न लिये जाने के निर्देश जारी किये गये।

विचारोपरान्त इस सम्बंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में आ रहे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रोगी (शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य, क्षय रोग, कैंसर, एच.आई.वी. एड्स आदि) ट्रॉमा व एक्सीडेंट के रोगियों एवं गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को होल ब्लड एवं कम्पोनेंट की आवश्यकता होने पर उनसे कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाए।

शासकीय चिकित्सालयों में आ रहे शेष रोगियों को होल ब्लड एवं कम्पोनेंट की आवश्यकता होने पर उनसे राज्य रक्ताधान परिषद के संदर्भित आदेश अनुसार प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाए। जिला/संस्था की रोगी कल्याण समितियों द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के अतिरिक्त शुल्क निर्धारण किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव, लो.स्वा.एवं प.कल्याण विभाग
द्वारा अनुमोदित

(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें (अस्प.प्रशा.)

016

(2)


(29)

पृ.क्रमांक अस्प.प्रशा./ 2016/126

भोपाल, दिनांक 25/01/2016

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
3. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
6. संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्, स्थानीय कार्यालय।
7. माननीय श्री चेतन्य कुमार काश्यप, विधायक रतलाम शहर, विसाजी मेन्शन, म.गां. मार्ग, रतलाम-457 001
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त रक्तकोष अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।


25/1/16
संचालक

स्वास्थ्य सेवायें (अस्प.प्रशा.)

01c

STATE BLOOD TRANSFUSION COUNCIL

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, M.P.

SATPUDA BHAWAN, BHOPAL - 462 004

No: 1274/SBTC/2015

Bhopal, Dated: 09/11/2015

To,

- (1) The Dean Medical College/Director/ CMO/
Civil Surgeons/Superintendent,
All Government Blood Bank,
Madhya Pradesh
- (2) The Directors/Owners/Operators
All Private Blood Bank,
Madhya Pradesh
- (3) Secretary/Director/Operator,
Voluntary Blood Bank
(Red Cross Blood Bank/ Lion/Rotary)

Subject: Guidelines for Recovery of Processing Charges for Blood and Blood Components-reg.

Ref. :- SBTC Letter No. 120/sbtc/09 dated 28.04.2009, Govt. of India, Ministry of Health and Family Welfare, Department of AIDS Control, New Delhi Letter No.S.12016/01/2012-NACO(NBTC) dated 12.02.2014 & Letter No. 793/ SBTC/ 2014 dated 17.10.2014

-----00-----

Sir/Madam,

With reference to above subject you are have by informed that a Executive Committee Meeting of SBTC under Chairmanship of Principal Secretary, Department of Public Health & Family Welfare, Govt. of Madhya Pradesh was held on 02/09/2015, in which it was decided to upgrade the Blood and Blood Components processing charges in Government and Private Blood Banks w.e.f. 01/01/2016. In this regard following decisions were taken which are supposed to be followed at your end:-

1. It is mandatory for all blood banks (DAC supported and non DAC supported) to provide Blood/Blood Component free of cost to the following patients, who requires repeated blood transfusion as a life saving measure:
 - a. Thalassemia patients
 - b. Heamophila patients
 - c. Sickle Cell anemia patients
 - d. Any other blood dyscrasia requiring repeated blood transfusions.
2. The basic principle of non profitability should be followed in blood banking and continue to levy no charge for blood as such, as it is to be collected from voluntary non remunerated blood donors who are not to be paid for donating blood.
3. The nomenclature of "**Service charges**" should be changed to the nomenclature "**Processing charges**" which are defined as the charges for processing of blood and blood components for safe blood transfusion to patients. The processing charges are not inclusive of establishment cost i.e. cost of building equipment etc.

(2)

4. For **Government and Non Government Blood Banks**, the processing charges are recommended as detailed below :-

a) Whole Blood	-	Rs. 1050/- per unit
b) Packed Red Cells	-	Rs. 1050/- per unit
c) Fresh Frozen Plasma	-	Rs. 300/- per unit
d) Platelet Concentrate	-	Rs. 300/- per unit
e) Cryoprecipitate	-	Rs. 200/- per unit

5. Charges for any specialized requirements/tests/procedures done by the blood bank must be disclosed to the recipient/receiver of blood.


(Sunita Tripathi) [IAS]

Director


State Blood Transfusion Council &
Public Health & Family Welfare
Madhya Pradesh

Endt. No: /SBTC/2015/

Bhopal, Dated: 09/11/2015

Copy for information & necessary action to:

1. The Director, National Blood Transfusion Council, Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Deptt. of AIDS Control, 9th. Floor, Chandralok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001
2. The Principal Secretary, Deptt. of Public Health & Family Welfare, Govt. of M.P., Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.
3. The Commissioner Health, Madhya Pradesh, Directorate of Health Services, Satpuda Bhawan, Bhopal.
4. The Controller, Food & drugs Administration, Iddgah Hills, Bhopal
5. The Project Director, M.P. State AIDS Control Society, 2nd. Floor, OILFED Corporation Building, Arera Hills, Bhopal.
6. The Mission Director, National Health Mission, Arera Hills, Jail Road, Bhopal.
7. The Director Medical Education, Directorate of Health Services, Satpura Bhawan, Bhopal.
8. The All Divisional Joint Directors, Health Services, Madhya Pradesh.
9. All Chief Medical & Health Officer, Madhya Pradesh.
10. All Incharge Blood Bank Officer, Government Blood Bank, Madhya Pradesh.


Director

State Blood Transfusion Council &
Public Health & Family Welfare
Madhya Pradesh